न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री कर्मवीर सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 70 / 2024

जीसीएमएस संख्या: 2024 / 136

1. शिवसिंह पुत्र रामसिंह उम्र करीब 61 वर्ष जाति काछी (कुशवाह) निवासी कंस का अड्डा मुस्तफाबाद तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर (राज0) ....वादी

बनाम

1. इन्द्रवती पत्नी बाबूलाल ।
2. बाबूलाल पुत्र सीताराम ।
3. रमुजी पुत्र सीताराम ।
4. रामवती पत्नी रमुजी ।
5. विद्या पत्नी सोनपाल ।

जतिगण काछी (कुशवाह) निवासीगण मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर (राज)

6. श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

.............प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए वास्ते बंटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 28.10.2025

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 26.07.2024 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो वाद तहकीकात दिनांक 29.07.2025 को प्रांरम्भिक रूप से डिकी किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 783 दिनांक 11.11.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील उप[illegible] सुना गया। वकील वादी वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.11.2025 अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 342 / 184 स्थिति ग्राम मुस्तफाबाद तहसील धौलपुर जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

क्र0 सं0	नाम काश्तकार मय वल्दियत व हिस्सा	ख0 नं0	रकवा
1	रामवती पत्नि रमुजी, रमुजी पुत्र सीताराम हि0ब0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/1	0.3035 हैक्टेयर
2	शिवसिंह पुत्र रामसिंह जाति कुशवाह हि.ब. सा. कंस का अड्डा मुस्तफाबाद खातेदार	342/184/2	0.1517 हैक्टेयर
3	शारदा पत्नि सोनू हि0पू0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/3	0.0759 हैक्टेयर
4	इन्द्रवती पत्नि बाबूलाल, बाबूलाल पुत्र सीताराम हि0ब0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/4	0.0758 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कर्मवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक धौलपुर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर
व इजलास : श्री कर्मवीर सिंह (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या : 70/2024
जीसीएमएस संख्याः 2024/136

1. शिवसिंह पुत्र रामसिंह उम्र करीब 61 वर्ष जाति काछी (कुशवाह) निवासी कंस का अड्डा मुस्तफाबाद तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर (राज0) ....वादी

बनाम

1. इन्द्रवती पत्नी बाबूलाल ।
2. बाबूलाल पुत्र सीताराम ।
3. रमुजी पुत्र सीताराम ।
4. रामवती पत्नी रमुजी ।
5. विद्या पत्नी सोनपाल ।

जतिगण काछी (कुशवाह) निवासीगण मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर (राज)

6. श्रीमान् तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए वास्ते
बंटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ कर्मवीर सिंह (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री योगेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं +++++++++ मिनजानिव मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11.11.2025 अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 342/184 स्थिति ग्राम मुस्तफाबाद तहसील धौलपुर जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम काश्तकार मय वल्दियत व हिस्सा	ख0 नं0	रकवा
1	रामवती पत्नि रमुंजी, रमुजी पुत्र सीताराम हि0ब0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/1	0.3035 हैक्टेयर
2	शिवसिंह पुत्र रामसिंह जाति कुशवाह हि.ब. सा. कंस का अड्डा मुस्तफाबाद खातेदार	342/184/2	0.1517 हैक्टेयर
3	शारदा पत्नि सोनू हि0पू0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/3	0.0759 हैक्टेयर
4	इन्द्रवती पत्नि बाबूलाल, बाबूलाल पुत्र सीताराम हि0ब0 जाति काछी सा. देह खातेदार	342/184/4	0.0758 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 17.11.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 17.11.2025 को जारी की गई।

(कर्मवीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)